न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— हनुमानसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्याः— 08/2020

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
तहसीलदार (जोन—पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर		भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956

आदेश **दिनांक :—12.02.2020**

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम झालामण्ड तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 413 की भूमि मिसल बंदोबस्त के अनुसार 74 बीघा 09 बिस्वा किस्म गै.मु. गोचर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061 के अनुसार उक्त भूमि ग्राम पंचायत झालामण्ड के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उक्त भूमि पर मौके पर मिट्टी का टिला स्थित था। नामान्तरकरण संख्या 3424 जरिये आवंटन दिनांक 13.01.2009 द्वारा उक्त भूमि नियमानुसार लगा अदा करने के पश्चात् नगर विकास न्यास जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। तत्तपश्चात् नगर विकास न्यास जोधपुर वर्ष 2009 में जोधपुर विकास प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा आवंटन पत्र कमांक एफ—46/आवंटन/जोविप्रा/09/1685/1258—62 दिनांक 23.10.2009 को उक्त 74.09 बीघा भूमि में से 35 बीघा भूमि का आवंटन 132 के.वी. जी.एस.एस. झालामण्ड को किया गया था। तत्पश्चात् राजस्थान विकास संस्थान जोधपुर द्वारा प्राधिकरण क समक्ष 35 बीघा भूमि के आवंटन की मांग की गई। जिसे राज्य सरकार के स्तर से निर्णय के पश्चात् उक्त खसरा संख्या 413 में से 35 बीघा भूमि राजस्थान विकास संस्थान को जरिये आवंटन पत्र कमांक आवंटन शाखा—पूर्व/जेडीए/जोधपुर/2018/1163 दिनांक 04.12.2018 को आंवटित की गई। गौरतलब है कि उक्त खसरा संख्या 413 की भूमि में से 4.09 बीघा भूमि 60 फीट रास्ते के रूप छोड़ने के पश्चात् राजस्थान विकास संस्थान को (35 बीघा) भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त कब्जा सुपुर्दगी के दौरान सर्वे एजेंसी के द्वारा सर्वे करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा संख्या 413 का सम्पूर्ण रकबा लगभग 80.09 बीघा प्राप्त होता है जो कि खसरा संख्या 413 की कुल खातेदारी भूमि के रकबे से 6 बीघा भूमि मौके पर अतिरिक्त प्राप्त हो रही है। मौके पर पूर्व आर.आर.वी.पी.एन.एल. की कुल चार दिवारी 41 बीघा भूमि पर अवस्थित थी जबकि आर.आर.वी.पी.एन.एल. को प्राधिकरण द्वारा 35 बीघा आवंटित की गई थी। इस संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा तहसीलदार—राजस्व को जी.एस.एस. की भूमि के सीमांकन हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 30.05.2019 को राजस्व पटवारी झालामण्ड, पटवारी जेडीए, अधिशाषी अभियन्ता आर.आर.वी.पी.एन.एल. कांकाणी, सहायक अभियंता आर.आर.वी.पी.एन.एल. कांकाणी, सहायक अभियंता टी एण्ड डी आर.आर.वी.पी.एन.एल. कांकाणी, कनिष्ठ अभियन्ता आर.आर.वी.पी.एन.एंल. कांकाणी, कनिष्ठ अभियंता टी एण्ड डी आर.आर.वी.पी.एन.एंल. कांकाणी की संयुक्त टीम द्वारा जी.एस.एस. द्वारा काबिज सम्पूर्ण चार

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

दिवारी मय तारबंदी युक्त भूमि का सीमांकन किया जिसके अनुसार मौके पर आर.आर.वी.पी.एन.एल. के कब्जे में 41 बीघा भूमि पाई गई जो कि जी.एस.एस. को आवंटित भूमि से 6 बीघा भूमि मौके पर अधिक पाई गई। प्राधिकरण द्वारा उक्त 6 बीघा भूमि पर स्थित आर.आर.वी.पी.एन.एल. के कब्जे की चार दिवारी व तारबंदी को अतिक्रमण मुक्त करते हुए प्राधिकरण के कब्जे में लिया गया। उक्त 6 बीघा अतिरिक्त (राजकीय भूमि) राजस्थान विकास संस्थान को आवंटित 35 बीघा भूमि तथा आर.आर.वी.पी.एन.एल. को आवंटित 35 बीघा भूमि के मध्य में अवस्थित है जिस पर निर्विवाद रूप से प्राधिकरण का कब्जा है। उक्त कब्जा व स्वामित्व के सम्बंध में किसी भी प्रकार का उजर ऐतराज प्राधिकरण के सक्षम आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा न ही किसी पड़ौसी खातेदार ने किसी प्रकार का दावा किया है। उक्त खसरा संख्या 413 का राजस्व नक्शा 74.09 बीघा की आकृति का बना हुआ है जबकि मौके पर भूमि का रकबा 80.09 बीघा हैं। उक्त वृद्धि का कारण भूमि पर अत्याधिक बड़े टिले का अवस्थित होना है जिसके कारण माप व मौके पर अंतर प्राप्त हुआ है। राजस्व रेकर्ड व नक्शे में रकबा व आकृति संबंधी दुरूस्ती किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है। पक्षकार व उक्त राजकीय भूमि राजस्व ग्राम झालामण्ड में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर में स्थित प्राधिकरण के निर्विवाद कब्जासुदा भूमि खसरा संख्या 413 की नक्शा किस्तवार में अंकित गलत तरमीम को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड में उक्त 6 बीघा की राजकीय भूमि को जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में दर्ज करते हुए नक्शा दुरूस्ती का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर की ओर से जवाब पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 01 व 02 स्वीकार है। बिन्दु संख्या 03 व 04 प्रार्थी स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 5 राज.सरकार आर.आर.वी.पी.एन.एल. की कुल चार दिवारी 41.00 बीघा पर थी शेष जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से सम्बंधित है। बिन्दु 6 स्वीकार है। प्राधिकरण द्वारा जी.एस.एस. की अतिरिक्त 6.00 बीघा भूमि की चार दिवारी व तारबंदी को जोधपुर विकास प्राधिकरण के कब्जे में लिया गया है। बिन्दु सख्या 7 जिस प्रकार लिखा गया है स्वीकार है। बिन्दु सं. 8 स्वीकार एवं माननीय न्यायालय से सम्बंधित है। बिन्दु सं. 9 माननीय न्यायालय से सम्बंधित है। बिन्दु सं. 10 इस कार्यालय से सम्बंधित है। ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 कुल रकबा जमाबंदी अनुसार 74.09 बीघा वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। जबकि मौके पर भूमि का रकबा 80.09 बीघा है। उक्त वृद्धि का कारण भूमि पर अत्याधिक बड़े टिले का अवस्थित होना है जिसके कारण माप व मौके में अन्तर प्राप्त हुआ है। राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती। इस खसरे में कोई बटट़ा नम्बर नहीं है तथा न ही राजस्व नक्शे में कोई तरमीम दर्ज है एवं राजस्व नक्शे की आकृति में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, राजस्व रेकर्ड एवं समग्र पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 का रकबा 74.09 बीघा दर्ज है लेकिन मौके पर एक बडा टिला अवस्थित होने के कारण नक्शे में रकबा 80.09 बीघा है। ऐसी स्थिति में राजस्व नक्शे में रकबा 74.09 बीघा के स्थान पर 80.09 बीघा शुद्धि किये जाने का आदेश फरमावे। अप्रार्थी की ओर से उक्त राजस्व रकबे में शुद्धि किये जाने हेतु सहमति प्रकट की है। ऐसी स्थिति में रकबे में हुई वृद्धि को शुद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 413 में स्थित रकबा 74.09 बीघा के स्थान रकबा 80.09 बीघा राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी हो।

हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

आदेश दिनांक 12.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.02.13 18:21:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: